



U; k; ky;

I gk; d dyDVj@mi [k.M vf/kdkjh

xk;kekykuh&ckMej

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024/533

दर्ज तिथि:-06.12.2024

1. जयकिशन पुत्र रूपाराम
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
3. रूपाराम पुत्र नारणाराम
4. विरधाराम पुत्र नारणाराम
5. रामाराम पुत्र नारणाराम
6. आसूराम पुत्र नारणाराम

जाति विश्णोई निवासी बारुड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. काछबाराम पुत्र हरजीराम
2. रतनाराम पुत्र काछबाराम
3. विकास अधिकारी एवं नरेगा अधिकारी, पंचायत समिति गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री पूनमाराम विश्णोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्त0 अधि0-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारुड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के सेढे पर प्रतिवादीगण की



खातेदारी आराजी खसरा संख्या 112/102 मौजा जूड़ी तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। अपनी खातेदारी आराजी के सीमाज्ञान हेतु वादीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 24.10.2024 की पालना में दिनांक 19.11.2024 द्वारा हल्का पटवारी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान के बाद वादीगण को अपनी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हुआ। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 19.11.2024 के अनुसार संलग्न नक्शा में ए, बी, सी, डी स्थान पर दर्शाई गई भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।
3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्बत
1.	खाता संख्या 173 जमाबंदी वाके ग्राम बारुड़ी तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2073-74 जमाबंदी सम्बत 2078 (वर्ष 2021)
2.	खसरा संख्या 263 राजस्व नक्शा मौजा बारुड़ी तहसील गुड़ामालानी	वर्तमान नक्शा
3.	खाता संख्या 37 जमाबंदी वाके ग्राम जूड़ी तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्बत 2075-78 जमाबंदी सम्बत 2078 (वर्ष 2021)
4.	खसरा संख्या 112/102 राजस्व नक्शा मौजा जूड़ी तहसील गुड़ामालानी	वर्तमान नक्शा
5.	संलग्न परिशिष्ट बिन्दु संख्या ए बी सी डी	-
6.	हल्का पटवारी द्वारा किया गया सीमाज्ञान रिपोर्ट	दिनांक 19.11.2024

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू-1	जयकिशन पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई	बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू-2	भगवानाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई	बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 19.11.2024 के अनुसार संलग्न नक्शा में ए, बी, सी, डी भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इश्तद्दुआ वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम उक्त इश्तद्दुआ के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**183. Ejection of certain trespasser—**

*(1) Notwithstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejection, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*

*(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए

जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या-01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है। मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या-02 एवं 04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 112/102 मौजा जूड़ी तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रकरण में अपनी खातेदारी आराजी के सीमाज्ञान हेतु वादीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 24.10.2024 की पालना में दिनांक 19.11.2024 द्वारा हल्का पटवारी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
8. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त सीमाज्ञान के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।
9. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानों का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.-1 जयकिशन पुत्र रूपाराम जाति विश्‍नोई निवासी बारूड़ी ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 4263/12.6666 है। मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर आमादा है। प्रकरण में पी.डब्ल्यू.-2 भगवानाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्‍नोई निवासी बारूड़ी ने अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी खसरा संख्या 4263/12.6666 है। मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर आमादा है।
10. प्रकरण में प्रदर्श संख्या-01-02 एवं 03-04 से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है। मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 112/102 मौजा जूड़ी तहसील गुड़ामालानी आपस में सेड़े-सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 263/12.6666 है। मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है। मौजा

बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 19.11.2024 के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को सीमाज्ञान दिनांक 19.11.2024 स्वीकार है। तहसीलदार गुड़ामालानी के सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 में खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर किसी भी अन्य खातेदार का कब्जा किया जाना उल्लेखित नहीं है। बल्कि यह उल्लेखित है कि मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण सीमाओं पर निशान नहीं करने दिये गये।

11. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में केवल पी0डब्ल्यू0-01 एवं पी0डब्ल्यू0-2 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का आंशिक अवैध कब्जा करार देने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जे को अवैध घोषित करने से पूर्व वादीगण की आराजी का पुनः सीमाज्ञान करवाना अनिवार्य शर्त है।
12. इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

*(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

7. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया होने के संबंध में वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम इश्तहुआ को साबित करने में के संबंध में वादीगण की आराजी का सीमाज्ञान करने के पश्चात् यदि वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रदर्शित होता है, तो उक्त कब्जा अवैध मानना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम इश्तहुआ वादीगण के पक्ष में अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् यदि वादीगण की खातेदारी

आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रदर्शित होता है, तो उक्त कब्जा अवैध मानने की शर्त के साथ स्वीकार की जाती है।

8. प्रकरण में द्वितीय इश्तद्दुआ वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय इश्तद्दुआ को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejection—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
15. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक	

	भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है।</li> <li>2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</li> <li>3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे।</li> <li>4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।</li> </ol>

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय अनुतोष को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय अनुतोष वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। अतः

**आदेश है कि**

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है 0 मौजा बारुड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात् प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी-बाड़मेर



U; k; ky;

I gk; d dyDVj@mi [k.M vf/kdkjh

xk;kekykuh&ckMej

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024/533

दर्ज तिथि:-06.12.2024

1. जयकिशन पुत्र रूपाराम
2. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
3. रूपाराम पुत्र नारणाराम
4. विरधाराम पुत्र नारणाराम
5. रामाराम पुत्र नारणाराम
6. आसूराम पपुत्र नारणाराम

जाति विश्नोई निवासी बारुड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

बनाम

1. काछबाराम पुत्र हरजीराम
2. रतनाराम पुत्र काछबाराम
3. विकास अधिकारी एवं नरेगा अधिकारी, पंचायत समिति गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री पूनमाराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा-183, 188

राजस्थान काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 263/12.6666 है0 मौजा बारुड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी के सीमाज्ञान के पश्चात् यदि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी पर

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काशत में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 03.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

